न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :— 505 / 18—19

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा — 46)

बेरोनिका तोपनो — विक्रेता

सुशील भेंगरा — क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख सहित
11.09.19	**आदेश**	

आवेदक बेरोनिका तोपनो पति स्व0 फ्रांसिस कोंगाडी ग्राम—उरीकेल, पोस्ट—मरचा, थाना तोरपा, जिला खूँटी ने सुशील भेंगरा पिता कंदना भेंगरा ग्राम—चुरगी, पोस्ट—तोरपा, थाना तोरपा, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतू आवेदन पत्र दिया है।

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा (एकड में)
तोरपा	53	166	3260	0.05¼

आवेदक अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय / जाति प्रमाणपत्र, खतियान एवं लगान की रसीद सं0 0612699938 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, तोरपा के पत्रांक 654 दिनांक 26.07.19 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि बिक्री केवाला सं0—662 / 647 दिनांक 07.10.87 द्वारा क्रय किया है। खतियानी रैयत का नाम शुचु तेली वगैराह है। पंजी II के अनुसार फ्रांसिस कोनगाड़ी के नाम भूमि का रकवा 7.37¼ एकड़ है। आवेदक के पास कुल रकबा 7.37¼ एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2019—20 तक किया गया है। भूमि का न्युनतम प्रस्तावित दर 68401.00(अड़सठ हजार चार सौ एक) रू0 प्रति डीसमिल है। इस भूमि के विक्रय में आवेदक के हिस्सेदारों की कोई आपत्ति नहीं है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास भूमि अवशेष रकवा 7.32 एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना तोरपा के निवासी हैं एंव एक ही समुदाय (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, तोरपा ने क्रेता—विक्रेता को भूमि क्रय—विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, तोरपा से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण बेरोनिका तोपनो पति स्व0 फ्रांसिस कोंगाड़ी को सुशील भेंगरा पिता कंदना भेंगरा के साथ ग्राम तोरपा के खाता सं0 166 खेसरा संख्या 3260 कुल रकबा 0.05¼ एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 68401.00(अड़सठ हजार चार सौ एक) रू0 प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, तोरपा के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

11/09/19

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।

11/09/19

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।